भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3138
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कोलार जिले के लिए उड़ान योजना

3138. श्री एम. मल्लेश बाबू:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के अंतर्गत कोलार हवाई पट्टी के विकास तथा उसे क्षेत्रीय विमानन नेटवर्क से जोड़ने के संबंध में अब तक क्या प्रगति प्राप्त हुई है;

(ख) कर्नाटक के कोलार जिले में वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं प्रारंभ कराने, विमानन अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा हवाई संपर्क में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त जिले से उड़ानों के संचालन के संबंध में तकनीकी आकलन, मार्ग संबंधी नियोजन, विमानन कंपनियों की भागीदारी तथा आवश्यक अवसंरचना से संबंधित क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्षेत्र में विमानन अवसंरचना के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा यात्रा सुविधा में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय लागू किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कोलार से हवाई सेवाओं के परिचालन तथा उक्त जिले को उड़ान योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्रदान करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): कोलार हवाईपट्टी को 'उड़ान' योजना के तहत असेवित हवाईअड्डों की सूची में शामिल किया गया है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन केवल वैध बोली प्रक्रिया के माध्यम से हवाईअड्डे को चिह्नित करके और चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को मार्ग अवॉर्ड करके किया जाता है।

'उड़ान' योजना के तहत आयोजित बोली प्रक्रिया के पांच चरणों के दौरान कोलार हवाईपट्टी को जोड़ने वाले मार्गों के लिए किसी भी एयरलाइन से कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। परिणामतः, हवाईपट्टी को योजना के तहत पुनरुद्धार/उन्नयन हेतु विचार नहीं किया गया था।

इसके अलावा, सरकार ने 28,840 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 04.07.2026 को 'उड़ान' योजना के अगले चरण का शुभारंभ किया है जिसमें 100 हवाईअड्डों के विकास के लिए भारत सरकार से 12,159 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल है।

यह योजना एक चैलेंज मोड फ्रेमवर्क प्रदान करती है जिसके तहत राज्य सरकारें विकास हेतु हवाईपट्टियों को निर्धारित कर सकती हैं। प्रस्तावों का मूल्यांकन भूमि की उपलब्धता,

अवसंरचनात्मक तैयारी, तकनीकी और प्रचालन व्यवहार्यता, यातायात क्षमता, सांविधिक मंजूरियों और राज्य सरकार के समर्थन के आधार पर किया जाता है।
